

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक: एफ.2(1)साप्र/2/2013

जयपुर, दिनांक

— आदेश —

10 APR 2013

इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 24.2.2013 के क्रमांक 6 पर निम्न अधिकारी को उनकी द्वितीय श्रेणी वरियतानुसार उनके नाम के सम्मुख अंकित आवंटित किया गया राजकीय आवास का कब्जा नहीं लेने के परिप्रेक्ष्य में विशेष परिस्थितियों को देखते हुए प्रथम परिवर्तन के अंतर्गत मानकर आवंटित आवास के स्थान पर उनके निवास हेतु नियमानुसार किराये पर निम्नलिखित शर्तों के आधार पर एतद्वारा आवंटित किया जाता है—

क्र.सं.	वरियता संख्या	नाम अधिकारी	आवंटित आवास संख्या	आवंटित आवास संख्या	सेवानिवृत्ति दिनांक
1	15/2012	श्री सीताराम मीणा उप निदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधारी निधि विभाग, साधारण निधि, वित्त भवन, जयपुर	एन-40 गांधी नगर जयपुर	॥/44, गांधीनगर (रिक्त होने की प्रत्याशा में)	28.2.2018

शर्ते—

- आवास का कब्जा आवास आवंटन के 8 दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
- उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
- सेवानिवृत्ति दिनांक से दो माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
- जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
- स्वयं तथा पत्नी/बच्चों के नाम से पदस्थापन स्थान पर निजी आवास बन जाने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
- चूंकि उक्त अधिकारी को राजकीय आवास का रिक्त होने की प्रत्याशा में आवंटन किया जा चुका है। अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11(ग)ए के अनुसरण में आवास के रिक्त होने की तिथि से 8 दिवस में आवंटन अधिकारी करने में असफल रहने की तारीख से 6 माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। 6 माह की समाप्ति पश्चात उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी भूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया भत्ता यदि उस क्षेत्र में अनुज्ञेय हो तो रोक दिया जायेगा।
- सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी— कृपया आवंटी के द्वारा आवास का आवास के रिक्त होने की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। अन्यथा निर्धारित अवधि उपरान्त आवंटी अधिकारी का मकान किराया भत्ता बन्द करने के आदेश प्रसारित कर प्रति इस विभाग को भिजाने का श्रम करायें।
- आवंटी को आवंटित राजकीय आवास संख्या का कब्जा लेने से पूर्व संबंधित अधिकारी अभियन्ता/आवासीय अभियन्ता को यह घोषणा करनी होगी—
 - आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी निरन्तर जयपुर में ही पदस्थापित रहे हैं।
 - आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी के द्वारा कोई स्वयं/पत्नि व उन पर आक्रित किसी अन्य सदस्य के नाम से जयपुर में निजी आवास निर्मित नहीं किया गया है।
- उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य शर्तें भी गान्य होगी।


सचिवाल की आज्ञा से,


 (मनफूल हैरान)
 शासन सहायक सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थी एवं आवश्यक चार्यवाही हेतु प्रेषित है—

- सम्भागीय आयुक्त, जयपुर।
- जिला कलक्टर, जयपुर।
- निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर।
- मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
- अतिरिक्त निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधारी निधि विभाग, साधारण बीमा, वित्त भवन, जयपुर।
- कोषधिकारी, शासन सचिवालय/जयपुर शहर, जयपुर।
- अधिकारी अभियन्ता, साठनिर्विविध/जन स्वास्थ्य विभाग, जयपुर विविधनिगम लिंग, गांधीनगर, जयपुर।
- संबंधित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी को भेजकर लेख है कि आवंटित आवास का नियमानुसार किराया कटौती की कार्यवाही को सुनिश्चित कराये साथ ही आवंटी द्वारा निर्धारित अवधि में कब्जा लेने में असफल रहने की स्थिति में आवंटन आदेश की शर्त संख्या-6 की पालना को भी अगले में लावें।
- संबंधित अधिकारी।
- निदेशक, उद्यान विज्ञ, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।

11. प्रबन्ध निदेशक, राजकौम, प्रथम तल योजना भवन, जयपुर—कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट पर अपडेट कराने का श्रम करावें।
12. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, चौकी, गांधीनगर, जयपुर को भेजकर लेख है कि कृपया आदेश की शर्त संख्या ४ की पालना को सुनिश्चित कर कब्जा देवें। कृपया आदेश की एक प्रति नोटिस बोर्ड पर चस्पा करावें।
13. शासन सहायक सचिव, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-5) विभाग।
14. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव शासन सचिव, शासन सचिव, साप्रवि।
15. अतिरिक्त निजी सचिव शासन उप सचिव, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग।
16. रक्षित पत्रावली।



(मनफूल बैरावा)
शासन सहायक सचिव